

तार-नवसम, बरगी नगर
फोन-(0761)2880245
जवाहर नवोदय विद्यालय
बरगी नगर,जबलपुर(म0प्र0)-482056
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(शिक्षा विभाग) भारत सरकार



Visit us:- www.jnvjabalpur.com
Email - jnvbarginagar@gmail.com
JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA
Bargi Nagar, Jabalpur (M.P) - 482056
Ministry of Human Resource Development
Department of Education) Govt. of India

Ref. No. JNV/BN/JBP/2016-17/

Date: -07/04/2017

वाहन निविदा

निविदा प्रपत्र संख्या -(पृष्ठ 1 से 3 तक)

निविदा प्रपत्र का मूल्य - रू. 100/- (100 केवल)

निविदा प्रपत्र विक्रय तिथि - 10/04/2017 से 10/05/2017

निविदा प्रपत्र जमा करने कि अंतिम तिथि - 10/05/2017 अपरान्ह 05:00 बजे तक (निविदा पेटिका के माध्यम से) ।

निविदा खोलने कि तिथि एवं स्थान दिनांक - 11/05/2017 पूर्वान्ह 11 बजे तहसील कार्यालय, जबलपुर।

अग्रिम धरोहर राशि का विवरण - रू. 10,000/-

(ई.डी.एम.) बैंक ड्राफ्ट/ पे आर्डर संख्यादिनांक

बैंक का नाम

| क्रं संख्या | वाहन का विवरण | वाहन की बनावट एवं निर्माण का वर्ष |
|-------------|------------------------|-----------------------------------|
| 01 | तवेरा ए.सी. (9+1) सीटर | 2016 या बाद का |

नियम एवं शर्तें

- वाहन सम्पूर्ण दिवस (24 घण्टे) के उपयोग हेतु 10 माह, की अवधि हेतु अनुबंधित होगी जिसे आपसी सहमति से नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है।
- किराये पर अनुबंधित वाहन " तवेरा, ए.सी., माडल 2016 चालक सहित एवं ईंधन (डीजल) रहित मासिक दर पर रखी जानी है।
- वाहन टैक्सी कार्य हेतु परिवहन विभाग में पंजीकृत एवं आल इण्डिया (मध्य प्रदेश सहित) परमिट प्राप्त होना चाहिए। इससे संबंधित दस्तावेज की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
- नवोदय विद्यालय समिति अनुबंधित वाहन पर केवल डीजल-व्यय वहन करेगी एवं किसी प्रकार की उपभोग कि.मी. सीमा (कि.मी.लिमिट) निर्धारित नहीं होगी। अन्य व्यय जैसे सर्विसिंग, रख रखाव, आयल एण्ड लुब्रिकेन्ट, पुर्जों की अदला बदली का दायित्व वाहन स्वामी का होगा। साथ की मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत रोड टैक्स, व्यापक बीमा (जिसमें चोरी, आगजनी एवं दुर्घटना आदि सुरक्षित हों) करवाने कि जिम्मेदारी वाहन स्वामी कि होगी। निविदा के साथ मोटर वाहन अधिनियम के सम्पूर्ण दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि सलग्न करनी होगी।
- वाहन स्वामी द्वारा अंकित मासिक किराये की अवधि 10 माह के लिए अनुबंधित की जाएगी जिसे आपसी सहमति से नियमानुसार बढ़ाया जाएगा। हर माह वाहन किराए की राशि में से आयकर अधिनियम के अनुसार टी.डी.एस. काटा जाएगा। वाहन स्वामी को अपने फर्म का पेन नम्बर क्रमाक की प्रतिलिपि निविदा के साथ सलग्न करना होगा।

